

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट

लखनऊ दिनांक 28 मार्च,2018

विषय- मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के गोमती नगर लखनऊ में नव निर्मित नवीन भवन परिसर में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग तथा 03 एडवोकेट चैम्बर के कार्य की गति बनाये रखने हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-625/सात-न्याय-9(बजट)-2015-837/93, दिनांक 25 मार्च,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ -लखनऊ के गोमती नगर लखनऊ में नव निर्मित नवीन भवन परिसर में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग तथा 03 एडवोकेट चैम्बर के निर्माण हेतु आगणन रू017867.24 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में रू07146.90 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । पुनः शासनादेश सं0-221/2016/2950/सात-न्याय-9(बजट)-2015-837/93, दिनांक 16 नवम्बर ,2016 द्वारा रू04000.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है । शासनादेश सं0-88/2017/1638/सात-न्याय-9(बजट)-2017-837/93, दिनांक 20 सितम्बर ,2017 द्वारा रू0 2000.00 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- तत्क्रम में वरिष्ठ निबन्धक मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के पत्र सं0-2256/2018 दिनांक 23-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य की गति को बनाये रखने के लिए **रू03826.98 लाख (रू0 अड़तीस करोड़ छब्बीस लाख अटठानबेँ हजार मात्र)** की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, द्वारा कराया जा रहा है। अतः उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ, को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य की विशिष्टियों, मानक गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा ।

4- शासनादेश सं०-625/सात-न्याय-9(बजट)-2015-837/93, दिनांक 25 मार्च,2015 की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु कुल अनुमोदित लागत के सापेक्ष अन्तिम 5 प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति के पूर्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 सितम्बर,2017 द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कराये गये समस्त कार्य स्वीकृत/ अनुमोदित आगणन के आधार पर कराये गये हैं तथा निर्माण कार्य हेतु किया गया भुगतान सक्षम अथारिटी द्वारा अनुमोदित दरों पर किया गया है।

6- दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

7- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन- 051-निर्माण - 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाए- 0110-मा० उच्च न्यायालय की इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिए नये भवनों का निर्माण- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/ बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

सं०- 48/2018/315(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 30प्र0, इलाहाबाद ।
- 3- निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ ।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 5- ओ०एस०डी० अवस्थापना मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ (मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के माध्यम से)।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ ।
- 8- महाप्रबन्धक, (कन्सल्टेंसी) 30प्र0 रा०नि०नि० लि०, लखनऊ ।
- 9- वित्त ई- 12 ।
- 10- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)

उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।